न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **अजय शुक्ला,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 60 / 2022

माना पुत्री छोगा लाल उम्र 62 वर्ष निवासी सीन्ता
हाल पत्नी उदालाल निवासी अंधेड तहसील व जिला बून्दी

——वादिनी

बनाम

1. गोपाल पुत्र छोगा लाल उम्र 52 वर्ष,
   निवासी सीन्ता तहसील व जिला बून्दी
2. श्रीमती धापू बाई पत्नी देवा उम्र 62 वर्ष,
   निवासी सीन्ता तहसील व जिला बून्दी
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, बून्दी
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी

——प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र कुमार जैन, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री राजकुमार गोयल, प्रतिवादी संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता,
3. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, प्रतिवादी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता
4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

आ दे श दिनांक 01.03.2025

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत वाद की प्रतिवादिनी संख्या–2 श्रीमती धापू बाई की ओर से दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम 11 सि.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रतिवादी संख्या–2 श्रीमती धापू बाई की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है, जिसकी प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि बेचान कर कब्जा प्रतिवादी संख्या–2 को संभलाया हुआ है। वादिनी द्वारा अपने हिस्से तक उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद पेश किया हुआ है, जिसके वाद पत्र की चरण संख्या–15 में अपने हिस्से तक विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु वाद का मूल्यांकन 5,00,000 / –रूपये अभिकथित

किया है, जिस पर वादिनी द्वारा नियमानुसार कोर्टफीस अदा नहीं की गई है। विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत् पेश उक्त वाद में वादिनी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाजार मूल्य पर अथवा दस्तावेज में वर्णित प्रतिफल राशि पर कोर्टफीस अदा की जानी चाहिये थी, जो वादिनी द्वारा जान बूझकर अदा नहीं की गई है, जिसके अभाव में वादिनी का वाद चलने योग्य नहीं होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादिनी का वाद खारिज किया जावे।

3. उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब वादिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने खण्डन स्वरूप यह उल्लेखित किया है कि जिस विक्रय–पत्र को निरस्त कराने का वाद पेश किया है, वह कृषि भूमि से सम्बन्धित है। कोर्ट फीस एक्ट के मुताबिक न्याय शुल्क व वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 24 (क) एवं 7(2) के कृषि भूमि मूल्यांकन गणना भू–राजस्व लगान के 25 गुना की राशि के आधार पर होती है और वादिनी ने कृषि भूमि के मूल्यांकन की लगान की 25 गुना कोर्ट फीस प्रस्तुत की हुई है। अतः वादिनी के अनुसार उपयुक्त कोर्टफीस पर वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किये जाने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादिनी संख्या–2 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र महज प्रकरण में विलम्ब करने एवं वादिनी को हैरान व परेशान करने के लिये पेश किया है, जो भारी हर्जे पर खारिज किया जावे।

4. हमारे द्वारा उभय–पत्र के तर्को पर विचारपूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस के दौरान अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये यह व्यक्त किया गया कि वादिनी व प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा प्रतिवादी संख्या–2 को संभलाया गया है तथा वादिनी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद का मूल्यांकन 5,00,000/–रूपये करते हुये प्रस्तुत किया है किन्तु इस पर वादिनी ने कोई कोर्टफीस अदा नहीं की है, इसलिए वादिनी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना चाहिये।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादिनी द्वारा उक्त तर्को का प्रबल विरोध करते हुये यह व्यक्त किया कि जिस विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित है तथा कोर्ट फीस एक्ट के मुताबिक न्याय शुल्क व वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 धारा 24 (क) एवं 7 (2)

के कृषि भूमि मूल्यांकन गणना भू–राजस्व लगान की 25 गुना राशि के आधार पर होती है और इस प्रकार वादिनी ने कृषि भूमि के मूल्यांकन की लगान की 25 गुना कोर्ट फीस अदा की हुई है। अतः प्रतिवादिनी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7. हमारे द्वारा उभयपक्ष के उपरोक्त तर्को पर विचारपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया है।

8. हस्तगत वाद वादिनी ने वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 0.8536 हैक्टर वाके ग्राम सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी के बाबत् किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 13.05.2020 को स्वयं के हिस्से तक अवैध एवं निरस्त करने बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जिसमें वादिनी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह आक्षेपित किया है कि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने मिलकर वादिनी से धोखे से उक्त विक्रय–पत्र पंजीकृत करवा लिये, जो वादिनी के हिस्से तक निरस्त किये जाने योग्य है और जिसका मूल्यांकन कृषि भूमि मानकर वाद पत्र की चरण संख्या–15 में वर्णितानुसार वाद का मूल्यांकन वादिनी के हिस्से तक की राशि 5,00,000/–रूपये एवं स्थायी निषेधाज्ञा के 400/–रूपये कुल 5,00,400/–रूपये निश्चित किया जाकर उक्त भूमि कृषि भूमि होने के कारण राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट वेल्यूवेशन एक्ट के अनुसार लगान की 25 गुना राशि पर 30/–रूपये एवं उचित तलबाने पर वाद प्रस्तुत किया गया है।

9. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त वाद पत्र का जवाब दावा केवल प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये वादिनी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है तथा प्रतिवादिनी संख्या–2 धापू बाई के द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब दावा अभी तक पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा उसने उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार कोर्टफीस पर आपत्ति जताई है कि वादिनी ने पर्याप्त कोर्टफीस पर वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रतिवादिनी संख्या–2, जिसके द्वारा कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके द्वारा अभी तक कोई भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से जो कोर्टफीस की कमी की आपत्ति जताई गई है, इस सम्बन्ध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोर्टफीस की कमी के कारण वाद–पत्र को निरस्त नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि यदि कोर्टफीस कम है तो उसकी पूर्ति के लिये वादी को

निर्दिष्ट किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट करने के उपरान्त भी यदि अनुपालना नहीं की जाती है तो वाद पत्र खारिज किया जा सकता है।

10. ऐसी स्थिति में इस स्तर पर जबकि अभी प्रतिवादिनी संख्या–2 द्वारा हस्तगत वाद में जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया है तो वादिनी के कथनानुसार जो कोर्टफीस संदाय की गई है, उसे वैध मानते हुये इस स्तर पर वादिनी का वाद खारिज किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। जहाँ तक कोर्ट फीस में कमी की आपत्ति का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पृथक से तनकी कायम की जाकर पक्षकारान के अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर कोर्टफीस के बाबत् अभिनिर्धारण किया जायेगा।

11. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादिनी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस प्रक्रम पर किसी प्रकार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

12. फलतः प्रतिवादिनी संख्या–2 श्रीमती धापू बाई की ओर से दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अजय शुक्ला)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

13. आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)